: प्रारम्भिक डिक्री :–

न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

पीठासीन अधिकारी विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–71/2019 (2019/00020) दर्ज दिनांक 08.07.2019

संशोधित टाईटल

1. कालुराम पिता मांगीलाल माली
2. आशाराम उर्फ आसु पिता मांगीलाल माली
3. रामु बाई पिता मांगीलाल माली
4. हीरा बाई पिता मांगीलाल माली
5. भुरी बाई पिता मांगीलाल माली
6. चांदी बाई पिता मांगीलाल माली
7. केशर बाई बेवा मांगीलाल माली

सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. प्यारी बाई पिता रामचन्द्र माली मृतक के बजायः–

   1/1 बद्री माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/2 नगजीराम माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/3 लादी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/4 दाखी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/5 प्रभु उर्फ परबूडी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   सर्व निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज0)
2. किशन पिता प्रताप माली माता शांता बाई
3. भागु उर्फ भागुती पिता प्रताप माली माता शांता बाई
4. मंजु पिता प्रताप माली माता शांता बाई

   सर्व निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)
5. भंवरलाल पिता रामचन्द्र माली
6. मगनीराम पिता रामचन्द्र माली

   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

——प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीगणः– श्री महेश दाधीच

अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 5ः– श्री राजेन्द्र कुमार बलाई

अधिवक्ता प्रतिवादी 6ः– श्री [illegible] कुमार चौधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज0)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :–71/2019 (2019/00020)
अन्तर्गत धारा :–53 आर.टी.एक्ट

:: कार्यवाही अन्तर्गत धारा 88, 188, 53 आर.टी.ए. ::

:: निर्णय ::

दिनांक 02.03.2021

वादीगण ने अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.एक्ट के वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि स्थित है।

यह कि उक्तानुसार वर्णित आराजियात में मांगीलाल, भंवरलाल, मगनरीराम पिता रामचन्द्र व लच्छु बेवा रामचन्द्र माली के नाम 1/4– 1/4 हिस्से से दर्ज रेकार्ड चली आ रही है। उसके उपरान्त लच्दु बाई बेवा रामचन्द्र का निधन हुआ जिससे नामान्तरण संख्या 412 दिनांक 28.11.2000 में मांगीलाल, भंवरलाल, मंगनीराम पिता रामचन्द्र व प्यारीबाई, शांताबाई उक्त वारिसो के नाम लच्छु बाई का 1/20 – 1/20 हिस्से अभिलिखित हो गया जिस अनुसार राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा था। मांगीलाल पिता रामचन्द्र माली का निधन हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी वादीगण कालुराम, आशाराम, रामु, हीरा, भुरी, चांदी व बेवा केशर बाई हैं जो वादीगण है। इसी प्रकार शांताबाई का निधन हो चुका है जिनके उत्तराधिकारी प्रतिवादी संख्या दो लगायत चार है। उक्त आराजियात में वादीगण का 3/10 हिस्सा बनता है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या छः मंगनीराम का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच भंवरलाल का 3/10 हिस्सा बनता है व प्रतिवादी संख्या एक प्यारी बाई के का0मु0 का 1/20 हिस्सा बनता है व मृतक शांता बाई का 1/20 हिस्सा बनता है लेकिन राजस्व कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय आदेश के वादीगण का 1/5 हिस्सा, प्रतिवादी भंवरलाल व मगनीराम का 2/5 हिस्सा व प्यारीबाई एवं शांताबाई का भी 2/5 हिस्सा गलत अभिलिखित कर दिया जबकि हिस्सा कम ज्यादा करने का राजस्व कर्मचारियों को अधिकार नहीं है। उैत प्रविष्ठि संवत 2070–2073 में गलत अभिलिखित कर दी। वादीगण मौके पर अपने 3/10 हिस्से पर काबिज होकर काश्त लाभ ले रहे है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1/20 हिस्से पर काबिज है।

यह कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के पिता मांगीलाल का 1/4 हिस्सा निहित था एवं लच्छुबाई के निधन के बाद 1/20 हिस्सा ओर दर्ज हुआ जिससे वादीगण का 3/10 राजस्व अभिलेखों में वादीगण के पूर्वाधिकारी मांगीलाल के नाम दर्ज होना चाहिये था। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक प्यारी बाई के का0मु0 के नाम भी 1/20 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था। इसी प्रकार शांता बाई का भी 1/20 हिस्सा बनता है व प्रतिवादी संख्या पांच भंवरलाल का 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः मगनीराम का 3/10 हिस्सा बनता है लेकिन संवत् 2070–2073 की जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या एक प्यारीबाई व मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

शांताबाई का 1/5 – 1/5 हिस्सा गलत अभिलिखित हो जाने से प्रतिवादी संख्या एक की नियत में बद्नियती आ गई है जिससे प्रतिवादी संख्या एक उक्त भूमि को अन्य को हस्तानान्तरित करने व खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जबकि वादग्रस्त आराजियात में वादीगण का 3/10 हिस्सा निहित है जो राजस्व अभिलेखों मे अभिलिखित होना आवश्यक है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या एक का व मृतक शांता बाई का 1/20 हिस्सा बनता है व प्रतिवादी संख्या पांच व छः का 3/10–3/10 हिस्सा दर्ज होना आवश्यक है जिससे वादपत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात में वादीगण का 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करना आवश्यक व न्यायोचित है। तथा वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को अन्य को विक्रय नहीं करे, न अजनबी को भूमि में प्रवेश करावे, न ऋण भार बढ़ावे, न ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, न ये कृत्य स्वयं करें न अन्य से करावें।

यह कि वाद ग्रस्त आराजी में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य राजस्व खाता आपस में शामलाती दर्ज रेकार्ड है। वे अपने माफिक रेकार्ड हिस्से पर काबिज है लेकिन अपने हिस्से को उन्नत बनाने, डवलप करने, लगान का विभाजन करने,तथा कृषिकार्यो में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वर्णित आराजी में कब्जे के आधार पर विभाजन कराया जाकर वादीगण के 3/5 हिस्से का कब्जे के आधार पर विभाजन करवा स्वतंत्र संयुक्त राजस्व खाता रेवेन्यू रेकार्ड में खोले जाने एवं स्वतंत्र कब्जा दिलाये जाने की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण हेतु वाद पत्र प्रस्तुत है।

अतः सादर प्रार्थना है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादर फरमायी जावे कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि में वादीगण को 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे व तद्नुसार डिक्री जारी फरमायी जावे व राजस्व अभिलेखों में वादीगण के नाम 3/10 हिस्सा दर्ज किया जावे व प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो लगायत चार के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच के नाम 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः के नाम 3/10 हिस्सा दर्ज कराया जावे।

वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी करना आवश्यक व न्यायोचित है कि उक्त वर्णित आराजियात में वादीगण के हक हिस्से व कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें, बिना विभाजन कराये उक्त भूमि को अन्य को विक्रय नहीं करे, न अजनबी को भूमि में प्रवेश करावे, न ऋण भार बढ़ावे, न ऐसा कोई कृत्य करे जिससे वादीगण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, न ये कृत्य स्वयं करें न अन्य से करावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण विधिवत दिनांक 08.07.2019 दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को सम्मन नोटिस दिये गये जिसकी अनुपालना में प्रतिवादी संख्या 2, 5 व 6 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2, 5 के अधिक्ता द्वारा फर्दअहकाम पर कब्जे के आधार पर बंटवारा करने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की। प्रतिवादी संख्या एक के कायम मु0 1/1 लगायत 1/5, 3, 4 बावजूद सूचना के अनुपास्थित अतः इनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते है। पैरोकार सरकार उपस्थित औपचारिक पक्षकार होना अंकित कर जवाब पेश नहीं करने से जवाब देही बन्द की गई। प्रतिवादी संख्या 6 मगनीराम की ओर से दिनांक 13.12.2019 को जवाब काउन्टर क्लेम पेश कर वादपत्र को अस्वीकार करते हुए खारिज किये जाने का निवेदन कर प्रार्थना की हैं कि प्रतिवादी मगनीराम के पक्ष में अन्य प्रतिवादीगण व वादीगण के विरूद्ध घोषणात्मक विभाजन की डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावें कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी संख्या 1797 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हे0 भूमि में मुझ प्रतिवादी का 1/3 हक व हिस्सा बनता है उसका खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका अंकन नवीन जमाबंदी में किया जावें मुझ प्रतिवादी के 1/3 हिस्से को भी कब्जे अनुसार विभाजन किया जावे। ठिक उसी प्रकार राजस्व खाता संख्या 102 में वर्णित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, आराजी संख्या 1724 रकबा 0.03 हे0, आराजी संख्या 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें प्रतिवादी के अपने निहित हिस्से 3/10 का विभाजन कब्जे अनुसार कर प्रतिवादी का पृथक से राजस्व खाता खोल कर लगान अलग से दर्ज कराया जावे।

उक्तानुसार जवाब काउन्टर क्लेम दिनांक 13.12.2019 का वादीगण की ओर से जवाबदावा काउन्टर क्लेम पेश कर जवाब काउन्टर क्लेम को अस्वीकार करते हुए गलत तथ्यों के आधार पर होने से खारिज करने का निवेदन कर प्रार्थना की हैं कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण विरूद्ध घोषणात्मक एवं विभाजन डिक्री इस आशय की सादर फरमायी जावे कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि में वादीगण को 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उसका अंकन नवीन जमाबंदी में किया जावें। तथा जवाबदावा कांउन्टर क्लेम के हम वादीगण के पक्ष में प्रतिवादीगण विरूद्ध घोषणात्मक एवं विभाजन डिक्री इस आशय की जारी फरमायी जावें कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी संख्या 1797 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें हम वादीगण के अपने—अपने निहित 187/1300 वां हिस्से का विभाजन कर वादीगण का पृथक से राजस्व खाता खोल कर लगान अलग दर्ज कराया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—71/2019 (2019/00020)
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

उक्तानुसार जवाब काउन्टर क्लेम के बाद निम्नानुसार तनकी कायम की गई :—

1. आया वाद पत्र की चरण संख्या एक में वर्णित आराजियात का वादीगण का 3/10 हिस्से का व प्रतिवादी संख्या एक के 1/20 , प्रतिवादी संख्या दो से चार का 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः का 3/10 हिस्से का काश्तकार है।

वादीगण

2. आया कि प्रतिवादी मंगनीराम का 1/3 हिस्सा बनता है जिसको 1/3 हिस्से का काउन्टर क्लेम के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

प्रतिवादी संख्या 06

3. आया कि वादीगण अपने 3/10 हिस्से का विभाजन कराने का अधिकारी है।

वादीगण

4. आया कि वादीगण स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधकारी है।

वादीगण

5. अनुतोष?

वादीगण अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करके सीधी बहस करनी चाही बहस उभयपक्ष सुनी गई अधिवक्तावादी ने अपने वादपत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुये नवीन जमाबंदी अनुसार कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए वादपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया। तथा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 ने कब्जे व हिस्से अनुसार विभाजन कर प्रारम्भिक डिक्री जारी करने पर कोई आपत्ति नहीं जाहिर की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष अधिकवक्ताओं की बहस पर गौर किया जिससे स्पष्ट होता है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि में वादीगण को 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना तथा ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी संख्या 1797 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें हम वादीगण के अपने—अपने पृथक—पृथक निहित 187 [illegible] हिस्से का विभाजन कर वादीगण का स्वतंत्र कब्जा दिलाया जाकर उसका [illegible] उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज कराया जाना उचित है [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—71/2019 (2019/00020)
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

—: आदेश :—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि में वादीगण को 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो लगायत चार के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच के नाम 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः के नाम 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी संख्या 1797 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण के अपने—अपने निहित 187/1300 वां हिस्से का विभाजन नवीन जमाबंदी अनुसार कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र कब्जा दिलवा कर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें। डिक्री पालनार्थ तहसीलदार सहाडा को जारी हो पत्रावली वास्ते विभाजन प्रस्ताव पेश होने दिनांक 26.03.2021 को पेश हो।

निर्णय आज दिनांक 02.03.2021 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर

सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) गंगापुर भीलवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

: प्रारम्भिक डिक्री :–

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर,गंगापुर जिला– भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – विकास पंचोली

प्रकरण संख्या :–71/2019 (2019/00020) दर्ज दिनांक 08.07.2019

संशोधित टाईटल

1. कालुराम पिता मांगीलाल माली
2. आशाराम उर्फ आसु पिता मांगीलाल माली
3. रामु बाई पिता मांगीलाल माली
4. हीरा बाई पिता मांगीलाल माली
5. भुरी बाई पिता मांगीलाल माली
6. चांदी बाई पिता मांगीलाल माली
7. केशर बाई बेवा मांगीलाल माली

   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

वादीगण

बनाम

1. प्यारी बाई पिता रामचन्द्र माली मृतक के बजायः–

   1/1 बद्री माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/2 नगजीराम माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/3 लादी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/4 दाखी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   1/5 प्रभु उर्फ परबूडी माता प्यारीबाई पिता पेमा माली

   सर्व निवासी गिलुण्ड तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद (राज0)
2. किशन पिता प्रताप माली माता शांता बाई
3. भागु उर्फ भागुती पिता प्रताप माली माता शांता बाई
4. मंजु पिता प्रताप माली माता शांता बाई

   सर्व निवासी आमेट तहसील आमेट जिला राजसमंद (राज0)
5. भंवरलाल पिता रामचन्द्र माली
6. मगनीराम पिता रामचन्द्र माली

   सर्व निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब सहाडा मु0गंगापुर जिला भीलवाडा।

––प्रतिवादीगण

उपस्थितिः– अधिवक्ता वादीगणः– श्री महेश दाद्यीच

अधिवक्ता प्रतिवादी स0 2, 5:– [illegible] कुमार बलाई

अधिवक्ता प्रतिवादी [illegible] कुमार चौधरी

[illegible] सरकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाडा (राज.)

Scanned with CamScanner

प्रकरण संख्या :—71/2019 (2019/00020)
अन्तर्गत धारा :—53 आर.टी.एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अदालत हाजा व बहाजरी अधिवक्ता वादीगण श्री महेश दाधीच, अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 2, 5 राजेन्द्र कुमार बलाई एवं अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 6 श्री मुकेश कुमार चौधरी मिनजानिब मुदई व पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53 आरटीए का स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री बहकवादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस आशय से जारी की जाती है कि ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा की सम्वत् 2054 से 2057 की खाता संख्या 102 में अंकित आराजी संख्या 1720 रकबा 0.10 हे0, 1724 रकबा 0.03 हे0, 1725 रकबा 0.03 हे0, 1793 रकबा 0.40 हे0, 1794 रकबा 0.09 हे0, 1795 रकबा 0.04 हे0, 1796 रकबा 0.07 हे0, 1847 रकबा 0.05 हे0 कुल किता 8 कुल रकबा 0.81 हे0 भूमि में वादीगण को 3/10 हिस्से का तथा प्रतिवादी संख्या एक के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या दो लगायत चार के नाम 1/20 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या पांच के नाम 3/10 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या छः के नाम 3/10 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तथा ग्राम गंगापुर पटवार हल्का गंगापुर के बेरून हल्का आबादी में स्थित राजस्व खाता संख्या 103 में वर्णित आराजी संख्या 1797 रकबा 0.06 हे0, आराजी संख्या 1798 रकबा 0.07 हे0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.13 हे0 भूमि स्थित है। जिसमें वादीगण के अपने—अपने निहित 187/1300 वां हिस्से का विभाजन नवीन जमाबंदी अनुसार कब्जे एवं हिस्से को ध्यान में रखते हुए स्वतंत्र कब्जा दिलवा कर उसका राजस्व खाता उक्त हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में अलग से दर्ज करते हुए विभाजन प्रस्ताव मय नक्शे के पेश करें।

नीज ×××× मुबलिग×××× बाबत××××खर्चा इस मुकदमें में मय सूद शरह×××× की फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक×××× अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02.03.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी गंगापुर2.

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.07.29 16:39:25 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner